विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। –जॉन्सन

चमक खोती गांधी विचार की संस्थाएं और उन पर कहर

वाराणसी में छह दशकों से महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार का काम कर रही बापू, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के अनुयाइयों की संस्था 'सर्व सेवा संघ' के परिसर को रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा मानते हुए जिस प्रकार पुलिस के बल की मदद से बेदखल किया गया है तथा वहां के पुस्तकालय तथा कार्यालय से पुस्तकों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को उठा कर बाहर फेंका गया है उससे बहुत से लोग सदमे में हैं। लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत को मिटा देने के व्यवस्थित प्रयासों का यह एक हिस्सा है। 'सर्व सेवा संघ' का परिसर वाराणसी में ओल्ड जीटी रोड और वरुणा नदी के बीच स्थित है। इसी परिसर के एक हिस्से में गांधी विद्या संस्थान है। जब से काशी रेलवे स्टेशन को मल्टीमॉडल स्टेशन और खिड़कियां घाट को 'नमो घाट' में तब्दील किया गया है तभी से इस संस्था के पूरे परिसर पर प्रशासन की नजर बताई जाती है। दिसंबर 2020 में प्रशासन ने परिसर के एक हिस्से पर जबरन अधिकार जमा कर उस जगह को काशी कॉरिडोर के वर्कशॉप के लिए ठेकेदार को आवंटित कर दी थी। वाराणसी के कमिश्नर द्वारा संस्थान के एक भवन को अपनी मर्जी से राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपलब्ध कराने के प्रयास की बात भी सामने आई है। भूदान के प्रणेता विनोबा भावे की कल्पना के आधार पर 1960 में 'सर्व सेवा संघ' परिसर की स्थापना वाराणसी में हुई थी। इस परिसर के लिए 1960, 1961 और 1970 में भूमि रेलवे से खरीदी गयी थी जिसका क्रय मूल्य ट्रेजरी के माध्मय से जमा हुआ। तीनों रजिस्ट्री करने वाले रेलवे अधिकारी तत्कालीन डिविजनल रेलवे इंजीनियर थे और रेलवे के उस समय के प्रावधानों के अनुसार विक्रय की कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार ने विक्रय करने वाले अधिकारियों की वैधानिकता को पूरी तरह जांच करने के बाद सेल डीड जारी की थी। राजस्व अभिलेखों में भी 1960 और 1961 की रजिस्टरियों के आधार पर 'सर्व सेवा संघ' का उल्लेख चला आ रहा है। यह गांधीवादी संस्था अपनी भूमि का उपयोग और उपभोग भी लगातार करता रहा है। केवल एक रजिस्ट्री जो 1970 में हुई है का अमलदरामत तकनीकी कमियों से नही हो सका, जिसकी पत्रावली अब तक लंबित है। देखने वाली बात यह है कि इस भूमि को लेकर रेलवे का सर्व सेवा संघ के साथ कभी कोई विवाद भी नहीं रहा। परिसर में गांधी चित्र प्रदर्शनी, बालवाडी, सभागार, विनोबा कुटी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन कार्यालय आदि संचालित हो रहे थे। इसके अलावा परिसर में 20 से अधिक कर्मचारियों के परिवार कई वर्षों से रह रहे थे। प्रशासन ने संघ की समस्त गतिविधियों को बंद करा कर सभी को उसके परिसर से बाहर ही नहीं निकाल दिया बल्कि पुस्तकालय की किताबों को भी बाहर फेंक दिया। वाराणसी के सौंदर्यीकरण के नाम पर यह बलि ली जा रही है। सर्व सेवा संघ का परिसर सघन वृक्षों से आच्छादित है और अनेक वृक्ष तो सौ वर्ष से भी अधिक के हैं जिनको धरोहर की श्रेणी में माना जाता है। इनमें इमारती, फलदार, शोभाकार और औषधीय वृक्ष शामिल हैं। यह क्षेत्र वरुणा और गंगा नदियों की दो सौ मीटर की परिधि के क्षेत्र में आता है जिस पर किसी नये निर्माण की योजना बनाने से पहले राष्ट्रीय हरित आयोग की अनापत्ति लेनी आवश्यक होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने काशी स्टेशन के प्रस्तावित विकास की परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का सामाजिक अंकेक्षण, जन सुनवाई, राष्ट्रीय हरित आयोग की अनापत्ति जैसे प्रक्रिया को सार्वजनिक किये जाने की मांग की थी किन्तु उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। सर्व सेवा संघ की तरफ से सभी सक्षम अधिकारियों को बार-बार कहा गया कि परिसर के स्वामित्व की बाबत लम्बित मुकदमे की सुनवाई तक कोई कार्यवाही न की जाय मगर दिनांक 22 जुलाई को पौ फटने से भी पहले भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और बिना किसी आदेश या नोटिस के आनन-फानन में बेदखली की इकतरफा कार्यवाही को अंजाम दे दिया। राष्ट्रपति के भेजे गए एक ज्ञापन यही सारी शिकायत करते हुए बताया गया है कि रेलवे प्रशासन ने सभी भवनों पर ताले लगा दिये हैं और परिसर में आम जन का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि ऐसा करने के लिए किसी न्यायालय का कोई आदेश नही है।

गांधी विचार से जुड़ी संस्थाओं के लिए भी यह आत्मावलोकन का समय है। क्यों उनकी हैसियत इतनी गिर गई है कि प्रशासन उनके खिलाफ इस हद तक चला जाता है और देश के आम आदमी में कोई बेचैनी, कोई सुरसुराहट नहीं होती। मुख्यधारा के मीडिया के लिए भी यह कोई मुद्दा नहीं होता।

प्रशासन का कहना है कि 63 साल पहले इस जमीन को किसी भी संस्था को बेचने की कोई नीति नहीं थी तथा रेलवे द्वारा उसे बेचने के लिए कोई निविदा प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। इसी को आधार बना कर वाराणसी के जिलाधिकारी ने पिछले माह अचानक एक आदेश पारित कर वर्ष 1960, 1961 एवं 1970 की इस भूमि की खरीद फरोख्त को अमान्य करार दे दिया। यह तर्क दिया गया कि रेलवे द्वारा सर्व सेवा संघ को भूमि का बेचान होना तथा उसकी रजिस्टरियां कूट रचना थी। कहा गया कि जिस वरिष्ठ रेल अधिकारी के हस्ताक्षरों से रेलवे की भूमि सर्व सेवा संघ को मिली वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था। जिलाधिकारी ने प्रभावित पक्ष का यह तर्क अनसुना कर दिया कि समस्त साक्ष्य और दस्तावेज बताते हैं कि तत्कालीन व्यवस्थाओं में वही अधिकारी प्राधिकृत था तथा आज के नये प्रावधानों की रोशनी में उसे नहीं देखा जा सकता। इस प्रकरण पर रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वाई. पी. आनंद का भी सार्वजनिक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 'सर्व सेवा संघ' को रेलवे द्वारा आवंटित जमीन के विक्रय-पत्र पर नॉर्दर्न रेलवे के डिविजनल इंजीयर के वैध हस्ताक्षर है और वह जमीन नियमानुसार बेची गई थी। उनके मुताबिक, "आजादी के बाद तब तक रेलवे की जमीनों को बेचने के लिए नीलाम करने की कोई नीति नहीं बनी थी। उस समय बनारस के रेलवे के सबसे वरिष्ठ अधिकारी के पास जमीनों को बेचने के अधिकार होते थे। जमीनों की अदला-बदली करना और बेचना रेलवे की सामान्य प्रक्रिया होती है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। रेलवे ने जमीन का सौदा किया, कीमत स्वीकार की और जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद उस पर सर्व सेवा संघ को कब्जा दिलाया। इसलिए वह पूरी प्रक्रिया विधि संगत थी।"

सर्व सेवा संघ गांधी जी के विचारों पर चलने वाली संस्था है और लोकनायक जय प्रकाश तथा विनोबा की कर्मस्थली भी रहा है जो एक राष्ट्रीय धरोहर कही जा सकती है। सर्व सेवा संघ के प्रकाशनों की बिक्री के लिए रेलवे ने विगत कई दशकों से देश भर के प्रमुख स्टेशनों पर स्टाल भी उपलब्ध कराये हुए हैं। यह भी जग विदित है कि महात्मा गांधी के विचारों से असहमति रखने वाले लोग अब लोकतान्त्रिक निर्वाचन से केंद्र और उत्तरप्रदेश में सत्ता में हैं। उन्हें मतदाताओं का बहुमत प्राप्त है। मगर लोकतंत्र की खूबसूरती यह होती है कि किसी भी दल की कितने ही प्रचंड बहुमत से जीत हो, शासन सबका होता है, किसी अमुक समूह का नहीं होता। वह उनका भी होता है जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया है। इसीलिए विधायिका का निर्वाचित सदस्य यह शपथ लेता है कि वह बिना किसी भेद के सबके साथ न्याय करेगा। लोकतंत्र में चुनाव में विजेता होने पर गर्व नहीं होता बल्कि सत्ता संभालने की आई जिम्मेवारी के साथ नम्रता भी आती है। अपना कदम सही होने का विश्वास होने पर भी दूसरे पक्ष को उसके नजरिए से समझने का शासन का व्यवहार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी के विचारों के प्रसार में लगी संस्था के साथ यह व्यवहार लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात लगता है।

गांधी विचार से जुडी संस्थाओं के लिए भी यह आत्मावलोकन का समय है। क्यों उनकी हैसियत इतनी गिर गई है कि प्रशासन उनके खिलाफ इस हद तक चला जाता है और देश के आम आदमी में कोई बेचैनी, कोई सुरसुराहट नहीं होती। मुख्यधारा के मीडिया के लिए भी यह कोई मुद्दा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की अहिंसा और अपरिग्रह की बातें गांधी के बाद के अनुयाइयों ने खुद त्याग दी और बडी-बडी भौतिक संस्थाएं अपने पक्ष की सरकारों के भरोसे खडी कर ली। संस्थाओं में ऐसी संपत्तियां बनाना बापू की सेवा की भावना के प्रतिकूल था। जब संपतियां बनी तो उन पर कब्जों को लेकर लोगों में लोभ आना ही था। गांधी के नाम पर चलने वाली संस्थाओं में पदों पर जमे रहने और जमे हुओं को उखाड़ने की कैसी रस्साकसी रही है और बनी हुई है यह किसी से छुपी बात नहीं है। जहां संपत्ति होगी वहां झगडे होंगे ही। झगडे होंगे तो टूटन होगी। जब एकता नहीं होगी तो पिटाई होगी ही। गांधी विचार के विरोध वाली ताकतें इसलिए बलवती हुई क्योंकि गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार को नई पीढ़ी को पहुंचाने का झण्डा लिए चलने वाले खुद के होकर रह गए और सत्ता पर आश्रित होते चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पांव के नीचे से जमीन कब खिसक गई है। मध्यम वर्ग की नई पीढ़ी, जिसके बूते पर भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसे गांधी की या उसके विचारों की कोई जानकारी नहीं है। उलटे उनके दिमाग में गांधी के प्रति झूठी कहानियों का विष भरा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गांधी के अनुयाइयों ने बापू की शिक्षाओं को न अपनाए जाने वाला आदर्श मान कर किताबों में धर दिया और अपने जीवन को व्यावहारिक बना लिया।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

शहरों पर बढ़ता भार, अति शहरीकरण

अविनाश जोशी

गांव देहात से लोग आशा एवं विश्वास की किरण लेके भारतीय महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में हर शहर की अपनी सीमाएं है। बढ़ती जनसंख्या से शहरो की व्यवस्था बिलकुल चरमरा सी गई है। लगता है हमे विकास की इस व्यवस्था का फिर से आकलन करना पड़ेगा।

पिछले कुछ सालों से अति शहरीकरण एक जटिल एवं ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने उभरा है। हमारे ग्रामीण अंचल से पलायन करते वक्त हर युवा यह सोचता है कि उसे उन्नत रोजगार एवम उच्च जीवन शैली नसीब हो जाएगी लेकिन भारतीय शहरो की वर्तमान स्थिति उसके ख्वाबों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यद्यिप हमारे यहाँ नगरीकरण अभी शैशव काल में है, इसके बावजूद हमारे नगरों की समस्याएँ पश्चिमी देशों से कहीं अधिक गम्भीर हैं। इस समस्या का कारण तथा समाधान ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में अति नगरीकरण विश्व के अधिकांश नगरों को निगल रहा है और हम मूकदर्शक बने उसका कठोर एवं पीड़ादायी दंश झेलने को विवश हैं। यह एक विडम्बना ही है कि भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या-बहुल देश में यदि गाँवों से शहरों की ओर जन-निष्क्रमण की गति नहीं बढ़ाई जाती तो गाँव बेरोजगार लोगों से भर जाएँगे और यदि गति बढ़ाई गई तो नगरों का दुर्भाग्यपूर्ण विकास नहीं रोका जा सकेगा। अतः योजनाओं के क्रियान्वयन में इस प्रकार का तालमेल बढ़ाना होगा कि साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए आकर्षित होता है एवम ग्रामीण अंचल से शहरों की तरफ पलायन करने लगता है तो उसे नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिक लाभ और ग्रामीण-शहरी परिवर्तन शहरीकरण के मुख्य कारण हैं।

शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्र में विकास की गति बढ़ती है और लोग गाँवों से शहरों में बसते हैं। शहरीकरण के द्वारा शहरों की विकास और बढ़ती आबादी का सामर्थ्य सुनिश्चित किया जाता है। अति शहरीकरण यानी अत्यधिक शहरीकरण का मतलब है कि शहर की बढ़ती आबादी, अपार्टमेंट्स, व्यापारिक इमारतें, और सड़कों के निर्माण जैसी विकास क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही हों कि इसका पर्याप्त सामर्थ्य नहीं होता है और इससे जनसंख्या एवं पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

यह बात तो लगभग सर्वमान्य है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से न तो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और न ही रिहायशी क्षेत्र। ऐसे में स्वाभाविक है कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा और अंततोगत्वा अति शहरीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन अतिनगरीकरण का सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों से इस जनसंख्या पलायन के पीछे मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बेरोजगारी तथा दैनिक सुविधाओं का अभाव, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कृषि आधारित होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को साल भर काम नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप वे नगरों की ओर भागते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का यह पलायन अत्यन्त तीव्र गति से हो रहा है और अनुमान है कि आने वाले वक्त में यह संख्या बढ़ती ही जाएगी।

भारतीय शहरी संस्कृति प्राचीनकाल से ही आकर्षण का केन्द्र रही हैं। चूँकि नगर का स्वरूप गाँव के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है और वहाँ सुख-सुविधाओं का भी अम्बार लगा रहता है, यही एक मुख्य कारण है ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर आकर्षित होने का। यह बात अलग है कि भिन्न-भिन्न नगरों का विकास भिन्न-भिन्न कारणों से होता है, जैसे-दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी आदि नगरों को ही लें। इन नगरों का विकास क्रमशः प्रशासनिक, व्यापारिक तथा धार्मिक कारणों से हुआ और इन्हीं कारणों ने उपरोक्त नगरों के विकास के लिए लोगों को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे-धीरे उनका इतना विकास हो गया कि वहां अतिनगरीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत में जिस तरह चंडीगढ़, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, गाँधीनगर आदि को बसाया गया है, उसी तरह अन्य उभरते नगरों को उनके विकास क्रम में ही नियोजित ढँग से बसाया जाए। अभी जो नगर छोटे हैं उसे गम्भीरता से लेते हुए उनके नियोजित एवं दूरदर्शितापूर्ण विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाए।

निरन्तर बढ़ती जनसंख्या ने नगरों में अतिनगरीकरण की स्थिति उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस रफ्तार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस रफ्तार से न तो कृषि एवं उद्योगों का विकास हो रहा है और न ही आवासीय क्षेत्रों का निर्माण। इस प्रकार प्रतिदिन एक नई आबादी उसी सीमित स्थान में रहने को विवश है। कुछ वर्षों पूर्व मुंबई में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहाँ 14 प्रतिशत परिवार या तो सड़कों पर रहते हैं या उनका निवास गंदी बस्तियों में है। चेन्नई जैसे महानगर में ऐसे परिवारों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। पिछले कुछ वर्षों तक बंगलौर में 95 गंदी बस्तियाँ थी जिनमें 31 लाख व्यक्ति रहते थे। अब इनकी संख्या सम्भवतः और बढ़ गई होगी। नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में रहने वाला हर पाँचवाँ व्यक्ति गंदी बस्ती में रहता है।

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूँजीवादी सिद्धान्त के सामने आने के बाद नई औद्योगिक व्यवस्था प्रारम्भ हुई। कल-कारखानों के स्वरूप में भी अमूल-चूल परिवर्तन हुए। कारखानों के आकार तथा संख्या में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। इस समय मशीनीकरण ने उद्योगों को विशाल रूप प्रदान किया। भारत में आजादी के पूर्व जमशेदपुर इस्पात उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, कुल्टी, बर्नपुर, भद्रावती आदि नगरों की स्थापना लोहा-इस्पात उद्योग का विस्तार था। बरौनी, नूनमाटी, अंकलेश्वर आदि नगरों का विकास तेल शोधन कार्यों के कारण हुआ। मुंबई एवम शोलापुर, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, इंदौर, नागपुर आदि में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हुए। बंगाल में हुगली में जूट उद्योग ने प्रगति की। ऐसे नगरों ने जो समुद्र किनारे स्थित थे और जहाँ बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध थी, वहां औद्योगिक विकास ज्यादा तीव्र गति से हुआ।

यह बात तो लगभग सर्वमान्य है कि किसी भी उद्योग की स्थापना में श्रमिक शक्ति का महत्व सर्वोपरि होता है। जब भी किसी नगर या महानगर में उद्योग स्थापित होते हैं तो भारी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उनकी आपूर्ति प्रायः बाहरी क्षेत्रों से होती है और शीघ्र ही ये नगर अनियन्त्रित भीड़-भाड़ व गंदे मकानों से घिर जाते हैं। वर्तमान में मुम्बई जैसे महानगरों ने फिल्म उद्योग के विकास के कारण लाखों युवाओं को अपनी ओर खींचने में सफलता पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ले लिए यह जरूरी है कि कृषि-आधारित उद्योगों का विकास हो, जैसे कि हाल ही में कई चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्थापित हुई हैं। इससे तीन फायदे हुए हैं। पहला यह कि वहाँ के लोगों को अपनी फसल बेचने नहीं जाना पड़ा। दूसरा, बिचौलियों की आवश्यकता न होने के कारण वे अपनी फसलों को सीधे कारखानों में बेच सके जिससे उन्हें अधिकतम मूल्य की प्राप्ति हुई। तीसरे, उन्हें गाँव में ही रोजगार मिल गया। ग्रामीण तथा कम शहरी क्षेत्रों में जिन उद्योगों का विकास सम्भव है, उनमें चीनी उद्योग, पोल्ट्री उद्योग तथा वनोत्पाद आधारित उद्योग मुख्य हैं।

साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बैंकिंग सुविधा का विस्तार भी अति आवश्यक है ताकि ग्रामीणों का व्यापार तथा उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तब निश्चित रूप से नगरों के स्वरूप में परिवर्तन आएगा और बहुत हद तक अतिनगरीकरण की समस्या दूर होगी। भारत में अतिनगरीकरण की समस्या से जूझ रहे विभिन्न नगरों के गर्भ में ही इस समस्या का कारण छिपा है। अतिनगरीकरण में सस्ते एवं तीव्र यातायात के साधन तथा उन्नत दूरसंचार माध्यमों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सड़क मार्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का सम्पर्क महानगरों से सम्भव हुआ है, वहीं रेलमार्गों ने सस्ते एवं तीव्र गति के यातायात साधन उपलब्ध हो गए है तेज गति के यातायात साधनों की उपलब्धता के कारण लोग बड़े-बड़े नगरों की ओर इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भागते हैं। आज की इस गलाकाट प्रतियोगिता के दौर में उद्योग अथवा व्यापारिक कार्य वहीं केन्द्रित होते हैं जहाँ उपरोक्त सुविधाएँ उपलब्ध हों। जैसे भारत के हर बड़े नगर को लें जहाँ सेल्यूलर फोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई-मेल आदि की सुविधा उपलब्ध है जो सर्वोत्कृष्ट दूरसंचार प्रणालियाँ हैं। इस स्थिति में उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का रुझान वहीं होगा जहाँ उपरोक्त सुविधाएँ उपलब्ध हों।

भारतीय नगरों में एक आम बात देखने को मिलती है कि जितने भी उच्च संस्थान हैं, जैसे- शिक्षा संस्थान, अस्पताल, कार्यालय, न्यायालय आदि, वे सब नगरों या महानगरों में ही स्थित हैं। इन संस्थानों का महानगरों में स्थित होने का सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि उनका सेवा क्षेत्र काफी विस्तृत है अर्थात वे काफी बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। भारत में 1991 से आर्थिक उदारीकरण के सिद्धान्त को अपनाया गया। फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में स्थापित होने का मौका मिला जिनमें बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार मिला जिसकी आपूर्ति ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों से हुई। साथ ही इसने विदेशों से भी कुशल एवं प्रशिक्षित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह भूमंडलीकरण, आर्थिक उदारीकरण आदि ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से नगरीय स्वरूप एवं उसके पर्यावरण को प्रभावित किया। नगरों में ओवर अरबनाइजेशन की स्थिति के जो दुष्परिणाम सामने आए हैं, वे हैं: रिहायशी मकानों की कमी; मकानों के किराए अधिक होना; गंदी बस्तियों का विकास; प्रशासनिक कठिनाईयाँ; नगरीय सुविधाओं की कमी; यातायात की समस्या; स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव; अपराधों में वृद्धि; प्रदूषण की समस्या; दुर्घटनाओं में वृद्धि; मनोरंजक स्थलों की कमी; कूड़ा-कर्कट विसर्जन समस्या; विद्युत समस्या; पेयजल समस्या; बेरोजगारी समस्या; एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या।

नगरों में अति शहरीकरण की स्थिति के लिए विभिन्न उद्योगों का एक ही स्थान पर केन्द्रीकरण बहुत हद तक जिम्मेवार है। प्रत्येक नगर या महानगर के आस-पास या उसके चारों ओर छोटे-छोटे शहर या कस्बे होते हैं। यदि इन कस्बों को बड़े नगरों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे तमाम सुविधाएँ उन कस्बों को उपलब्ध हों जो मुख्य नगरों में उपलब्ध हैं, तो जनसंख्या घनत्व नगर विशेष में एकत्रित होने से रोका जा सकता है। जैसे-जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुविधाएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध होती जाएँगी, जनसंख्या का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसार होता जाएगा। इससे आंशिक रूप से ही सही, अतिनगरीकरण की स्थिति को कम किया जा सकेगा। अब तो दिल्ली जैसे महानगर में यह विधि अपनाई भी जा रही है। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण और नगरी क्षेत्रों का ग्रामीणीकरण आज अत्यन्त आवश्यक है।

पिथौरागढ़ उत्तराखंड के युवा कवि महेश चंद के तेजी से बदलते नगरीय परिवेश पे यह शब्द एक बार सोचने को मजबूर कर देते है।

"अब पहुँची हो सड़क तुम गाँव जब पूरा गाँव शहर जा चुका है"।

–अविनाश जोशी,
स्वंतत्र पत्रकार एवं लेखक

कला तालाब गांव में आजादी के 76 साल बाद भी नहीं बनी सड़क

बच्चे बहते नाले को पार कर स्कूल जाते हैं

- **बीमार को चारपाई तक सड़क पर ले जाते हैं लोग**
- **कला तालाब गांव के 18 घरों में करीब 100 की आबादी है और मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर गांव अंदर की तरफ है।**
- **'इस गांव में 250 से कम आबादी होगी, इसलिए सरकार की किसी भी स्कीम में यहां पर डामर सड़क नहीं बनने से वंचित होगी'**

राजसमंद, (निसं)। राज्य सरकार विकास के चाहे कितने ही दावे करती हो मगर जमीनी हालात बेहद चौंकाने वाले है। कला तालाब एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को सड़क तक नसीब नहीं हुई। गांव में सड़क नहीं होने की वजह से पहाड़ों का पानी मुख्य रास्ते पर बह रहा है। गांव के बच्चों को परिजन हाथ पकड़ कर मुख्य रोड तक छोड़ते है। जब पानी का बहाव तेज होता है तब पहाड़ों के ऊपर से चलकर स्कूल जाना पड़ता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसको चारपाई पर लेटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है क्योंकि नाले में पानी का बहाव ज्यादा होने से कच्ची सड़क पूरी कट चुकी है। इस कारण चार पहिया वाहन गांव तक आता ही नहीं है।

कुंभलगढ़ उपखंड के समीचा ग्राम पंचायत के कला तालाब गांव के हालात काफी खराब है। आजादी के 76 वर्ष बाद भी इस गांव में सरकार की तरफ से न तो डामरीकरण सड़क बनाई और न ही सीसी सड़क। बारिश के दिनों मे तो हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि लोगों को अपने घर तक जाने के लिए भी कई चुनौतियों का सामना करन पडता है समीचा क्षेत्र के सभी पहाडियों का पानी इस गांव से होकर आगे बहता है। जबकि इस गांव में पुलिया निर्माण और गांव तक जाने के लिए रास्ता बेहद जरूरी है मगर चुनाव के समय वादे करने वाले नेता वोट मांगने आते है उसके बाद कोई इनका हाल पूछने वाला नहीं है। रास्ता इतना खराब है कि चार पहिया वाहन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। गांव के लोगों के लिए सबसे बडी चुनौती बारिश के मौसम में रहती है एक तो स्कूल जाने वाले बच्चों की चिंता और अगर बहाव तेज आया तो सभी लोग घरों में ही रहते हैं या पहाड़ी के ऊपर होकर समीचा गांव तक पहुंचते हैं। कला तालाब गांव के 18 घरों में करीब 100 की आबादी है और मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर गांव अंदर की तरफ है।

कला तालाब के गणपतसिंह ने बताया कि गांव में चुनाव के समय भाजपा व कांग्रेस पार्टी के नेता इस गांव तक जरूर आते हैं और उस समय गांव तक सड़क बनाने के लिए बडे-बडे वादे करके चले जाते हैं। इसके बाद इस बस्ती में मुड़कर कभी नहीं देखा। गांव के लोग लंबे समय से परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़, पूर्व विधायक गणेशसिंह परमार को कई बार ज्ञापन देकर गांव तक सड़क बनाने की मांग की मगर अब तक कुछ नहीं हुआ।

बहते पानी से प्रतिदिन बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। कई बार स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे जल्दी आ जाते हैं तब वे अकेले ही आते है अब ऐसे में हरदम खतरा रहता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में गांव में कोई बीमार हो जाए या डिलीवरी केस हो तो उसे चारपाई पर मुख्य सड़क तक ले जाना पडता है। इसके बाद वाहन से उसे अस्पताल ले जाने की एक सबसे बडी चुनौती है।

विधायक कुंभलगढ़ सुरेन्द्रसिंह राठौड का कहना है कि ये रास्ता तालाब की पाल के पास होकर गुजरता है। पूर्व में यहां पर सड़क बनवाई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पर वर्ष पर्यंत पानी बहता रहता है। जिसके कारण यहां पर डामर की सड़क का टिकना संभव नहीं हो रहा है। मामला मेरे संज्ञान में है, पूरी सीसी रोड बनवानी होगी जिसके लिए बड़े बजट की आवश्यता है। मैने डीएमएफटी के प्रस्ताव में ये सड़क ले रखी है। जल्द ही स्वीकृति आने पर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाकर वहां के ग्रामीणों को राहत दी जाएगी।

मगनीराम रेगर, अभिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी विभाग आमेट-कुंभलगढ़ का कहना है कि इस गांव में 250 से कम आबादी होगी, इसलिए सरकार की किसी भी स्कीम में यहां पर डामर सड़क नहीं बनने से वंचित होगी। विभाग की ओर से अब 100 तक की आबादी को सड़क से जोड़ने की योजना में प्रस्ताव बनाकर भेजे है। स्वीकृति आने के बाद वहां पर सड़क बना दी जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित धनावत फलावासी

उदयपुर, (कासं)। आजादी के पिचहत्तर वर्ष बाद भी जिले के लसाडिया थाना क्षेत्र के धोलीया ग्रामवासी नदी पार कर स्कूल, शमशान एवं चिकित्सालय जाने के लिए मजबूर हैं।

उल्लेखनीय है कि जिले के लसाड़िया तहसील स्थित धोलिया गांव धनावतफला क्षेत्र के लोग देश की आजादी के बाद से आज दिन तक मूलभूत सूविधाओं से वंचित है। यहां के ग्राम में करीब 40 घरों की आबादी मे 100-125 लोग निवास करते हैं। ये लोग धोलिया में बहने वाली नदी के दूसरे छोर पर रहते हैं। इनके बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरीवेरी में पढ़ने जाते हैं। वर्षाकाल के समय में नदी में बहने वाले पानी के चलते सिर पर किताबों को रख कर पढ़ने जाना इन मासूसभावी कर्णधारों की मजबूरी सी बन गई है जिससे कभी बड़े हादसे को न्यौता देने जैसा है। यहीं नहीं यहां के लोगों का शमशान भी नदी के दूसरे छोर पर स्थित है। जिन्हें वर्षाकाल के दौरान किसी परिवारजन की मृत्यु होने पर अर्थी को दूसरे छोर तक ले जाना दुभर हो जाता है। अगर नदी का तेज बहाव होने पर ग्रामवासियों को बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह गर्भवती महिलाएं बीमारी एवं सामाजिक कार्य में भी इस नदी को पार कर दूसरे छोर तक जाना ग्रामीणों की मजबूरी सा बन गया है। सड़क, पुलिया स्वीकृत करने की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी को गुहार लगाई है।

राशिफल

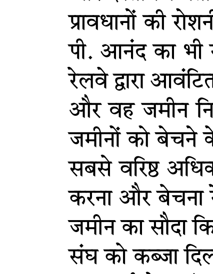

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 2 अगस्त, 2023

प्र. सावन मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, श्रवण नक्षत्र दिन 12:58 तक, आयुष्मान योग दिन 2:33 तक, बालव करण दिन 10:04 तक, चन्द्रमा रात्रि 11:26 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मकर, मंगल-सिंह, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग दिन 12:58 तक है। राजयोग रात्रि 8:06 से सूर्योदय तक है। आज से पंचक रात्रि 11:26 से आरम्भ होंगे। शुक्र वृद्धत्व सांय 6:45 से आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:14 तक, शुभ 10:54 से 12:33 तक, चर 3:52 से 5:31 तक, लाभ 5:31 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:55, सूर्यास्त 7:11

मेष
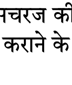
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

वृष

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
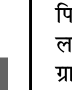
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है।

तुला
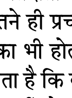
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
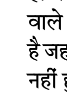
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकर
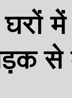
व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण संयम रखना ठीक रहेगा।

कुंभ
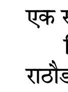
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मीन
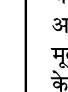
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिके स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।